डॉ0 रमेश ऋषिदेव, माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–10.01.2018 को उनके कार्यालय कक्ष में मिशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण योजना से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:–

क्र0	नाम	पदनाम	विभाग
1	डॉ0 रमेश ऋषिदेव	माननीय मंत्री	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
2	श्री गौतम पासवान	मिशन निदेशक	बिहार महादलित विकास मिशन।
3	श्री अतुल कुमार वर्मा	विशेष कार्य पदा0	बिहार महादलित विकास मिशन।
4	श्री सुनील कुमार सिंह	अधीक्षण अभियंता(मु0)	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना।
5	श्री रविशंकर पाठक	सहायक अभियंता	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना।
6	श्री अनिल कुमार	अभियंता (अनुश्रवण)	बिहार महादलित विकास मिशन।

बैठक प्रारंभ करते हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड के निर्माण योजना की समीक्षा है।

1–सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड (वित्तीय वर्ष–2010–11 से 2015–16 तक)

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड 4056 लक्ष्य के विरूद्ध 3159 ईकाई पूर्ण, 861 ईकाई अपूर्ण एवं 36 ईकाई स्थल विवादित है। अपूर्ण ईकाई को पूर्ण कराने हेतु जिलों में जाकर समीक्षा की जा रही है। निदेश दिया गया कि विभाग के जिला योजना पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के विकास मित्र एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को बुलाया जाय तथा सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाय कि अतिशीघ्र अपूर्ण सामुदायिक भवन को पूर्ण करा ली जाय।

वित्तीय वर्ष–2016–17 से अद्यतन

मिशन निदेशक द्वारा बैठक में बताया गया कि सामुदायिक भवन को उत्क्रमित किया गया है। जिसमे वर्कशेड के साथ एक कमरा, बिजली कार्य, दो शौचालय एवं चाहरदिवारी का प्रावधान है। 20.97 लाख/20.55 लाख प्रति ईकाई दर (SOR 2014 के आधार पर) को अद्यतन दर पर स्थानीय क्षेत्र अभयंत्रण संगठन द्वारा संशोधित कर पुनरीक्षण किया गया है, जो कि पाईल फाऊंडेशन 23.76 लाख/ओपेन फाऊंडेशन 23.29 लाख प्रति ईकाई दर, संवेदक लाभांश सहित है।

1. दिनांक–26.12.2017 को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति (50 लाख तक), जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–जिला परियोजना पदाधिकारी एवं तकनीकि स्वीकृति (50 लाख तक), कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को अधिकृत किया गया है।

258

2. मिशन निदेशक द्वारा बताया गया कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा जिला–शिवहर, समस्तीपुर, सहरसा एवं मधेपुरा में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष–2016–17 एवं 2017–18 के अन्तर्गत संशोधित लक्ष्य 299 एवं 441 कुल 740 ईकाई पर LAEO द्वारा अनुमोदित दर पर निर्माण कराया जाना है।

3. निदेश दिया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता से स्थल की भौतिक स्थिति के अनुसार सामग्री के ढुलाई दर एवं अन्य की गणना कर निर्धारित मॉडल के अनुरूप प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर प्राक्लन बनाया जायेगा, जिसका Plinth Length नजदीक सड़क से ऊँचा होगा। साथ ही निदेश दिया गया कि स्वीकृत अधिकतम राशि के आलोक में प्राक्लन नियमानुसार बनायी जाय।

4. अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को निदेश दिया गया कि चाहरदिवारी का निर्माण उपलब्ध जमीन के अनुसार की जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हो गई।

विश्वासभाजन

30/01/018

मंत्री,
अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 183 पटना, दिनांक : 05/02/2018

प्रतिलिपि : सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप निदेशक (कल्याण), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/सभी जिला परियोजना पदाधिकारी –सह– जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

2.2.18

मिशन निदेशक
बिहार महादलित विकास मिशन